न्यायालयः अति0 जिला न्यायाधीश, क्रम–1,
<u>जयपुर जिला, जयपुर</u>

पीठासीन अधिकारी : विकास कालेर, आर.जे.एस.
"जिला न्यायाधीश संवर्ग"

दीवानी वाद संख्या : 94/2019 (733/2018)

एन.सी.वी. नं. : 266/2019

1– श्रीमती बीना देवी पत्नी स्व. श्री कालूराम, उम्र–21 वर्ष,
2– हर्षित सैनी पुत्र स्व. श्री कालूराम, उम्र–04 वर्ष
3– मयंक पुत्र स्व. श्री कालूराम, उम्र–02 वर्ष
प्रार्थी संख्या–2 व 3 नाबालिग जरिये संरक्षक माता श्रीमती बीना देवी
4– चौथमल सैनी पुत्र श्री भगवानसहाय **(मृतक दौराने दावा)**
5– उगन्ती देवी पत्नी स्व. श्री चौथमल, उम्र–50 वर्ष,
समस्त निवासी–ग्राम राजबास, गुढ़ाकटला पोस्ट मुही, तहसील–बसवा, जिला दौसा (राज.)

––वादीगण

ब ना म

1– जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जरिये प्रबंधक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, विद्युत भवन, आर.सी दवे मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर (राज.)
2– मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि., ओल्ड पावर हाउस रोड़, राम मंदिर के पास, जयपुर (राज.)
3– सहायक अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि., कार्यालय बसवा, बांदीकुई, जिला दौसा।

––प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत क्षतिपूर्ति अन्तर्गत धारा 1 (क) घातक दुर्घटना अधिनियम, 1855</u>

<u>उपस्थितः</u>
1– श्री राजेन्द्र प्रसाद सैनी, अधिवक्ता, वादीगण की ओर से।
2– सर्वश्री संजय शर्मा, चन्द्रशेखर, अधिवक्तागण प्रतिवादीगण संख्या–1 लगायत 3 की ओर से।

<u>:: निर्णय ::</u> **<u>दिनांक : 10 अगस्त, 2026</u>**

1. वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद पत्र बाबत क्षतिपूर्ति अन्तर्गत धारा 1 (क) घातक दुर्घटना अधिनियम, 1855 के तहत

माननीय जिला न्यायाधीश महोदय, जयपुर महानगर के समक्ष प्रस्तुत किया जो कालान्तर में दिनांक 08.08.2019 को अंतरित होकर इस न्यायालय को विधिवत निस्तारण हेतु प्राप्त हुआ।

2. संक्षेप में वादपत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी संख्या–1 का पति, प्रार्थीगण संख्या–2 व 3 का पिता एवं प्रतिवादीगण संख्या–4 व 5 का पुत्र स्व. कालूराम सैनी दिनांक 06.03.2018 की सुबह 3–4 बजे ग्राम राजबास गुढाकटला स्थित अपने खेतों में पानी मोड़ने गया हुआ था, तभी खेत में आवारा पशु आ गये जिन्हें भगाने के लिए कालूराम लाठी लेकर गया तो कालूराम की लाठी खेत में होकर गुजर रही 11 हजार केवी लाईन जो कि खेत में बहुत नीचे झूल रही थी, से टच हो गई जिससे कालूराम को उच्च क्षमता का बिजली का करंट लग गया जिससे कालूराम की मृत्यु हो गई। विद्युत लाईन अप्रार्थीगण की लापरवाही के कारण खेत में बहुत नीचे झूल रही थी और अप्रार्थीगण द्वारा समय–समय पर उक्त लाईनों की देखभाल, सार–संभाल, पर्याप्त सतर्कता नहीं बरतकर घोर लापरवाही की गई है जिसके परिणामस्वरूप कालूराम को असयम अपनी जान गंवानी पड़ी। पुलिस थाना बसवा द्वारा उक्त दुर्घटना की मर्ग रिपोर्ट संख्या 04/2018 दिनांक 06.03.2018 को दर्ज कर मृतक कालूराम का पोस्टमार्टम करवाया जाकर पुलिस कार्यवाही की गई जिसमें मृतक की मृत्यु का कारण बिजली करंट लगने से मृत्यु होना बताया गया है।

3. कालूराम की मृत्यु के समय उसकी आयु 22 वर्ष थी। वह स्वस्थ शरीर का होनहार, मेहनती, कुशल, अनुभवी व्यक्ति था जो तिरपाल सिलाई व खेती कार्य कर प्रतिवर्ष लगभग 1,80,000/–रुपये वार्षिक आय अर्जित कर अपने परिवार का पालन–पोषण करता था। कालूराम की इस प्रकार हुई अकाल मृत्यु से उसका परिवार उक्त आय से सदैव के लिए वंचित हो गया तथा यह आय 1,80,000x38=68,40,000/–रुपये होती जिसे वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी है। साथ ही भविष्य की आय के मद में 10,00,000/–रुपये, दाम्पत्य सुख, प्यार एवं वात्सल्य सुख वंचना की मद में 2,00,000/–रुपये एवं दाह संस्कार आदि की मद में 50,000/–रुपये

कुल 80,90,000/—रुपये क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी है।

4. वाद कारण दिनांक 06.03.2018 की सुबह करीब 3.00—4.00 बजे अप्रार्थीगण/प्रवितादीगण की घोर लापरवाही के कारण बिजली की लाईन को कसकर नहीं बांधने और खेत में उच्च क्षमता की लाईन बहुत नीचे तक झूलने के कारण कालूराम की लाठी 11 हजार केवी बिजली की लाईन के टच होने से करंट लगने से कालूराम की अकाल मृत्यु होने से वाद कारण उत्पन्न हुआ।

5. अंत में निवेदन किया है कि वाद वादीगण बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण मंजूर किया जाकर क्षतिपूर्ति राशि 80,90,000/—रुपये डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध संयुक्त व पृथक्—पृथक् रूप से पारित कर क्षतिपूर्ति की राशि प्रतिवादीगण से दिलवाई जावे तथा उक्त क्षतिपूर्ति राशि पर प्रार्थीगण/वादीगण को दावा दायरी से अदायगी तक 18 प्रतिशत की दर से ब्याज तथा अंतरिम सहायता राशि रूपये 50,000/—रुपये अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण से शीघ्र दिलवाये जावे।

6. प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत कर प्रारंभिक आपत्तियों में कथन किया गया है कि वादपत्र में वर्णित तथाकथित घटना स्थल न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं होने से प्रकरण की सुनवाई की अधिकारिता नहीं होने के कारण प्रस्तुत वादपत्र प्रथम दृष्टया ही चलने काबिल नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। उक्त तथाकथित दुर्घटना घटित होने पर पुलिस थाना बसवा, जिला दौसा द्वारा मर्ग नंबर 04/2018 दिनांक 06.03.2018 को दर्ज कर अन्तर्गत धारा 174 सी.आर.पी. सी के तहत कार्यवाही की जाकर मृतक कालूराम की मौत को अकाल मौत मानते हुए प्रतिवादीगण की कोई लापरवाही नहीं मानी गई है। प्रतिवादीगण द्वारा मदवार जवाब प्रस्तुत करते हुए वादपत्र में वर्णित अधिकांश तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया कि 11 हजार वोल्ट की लाईन खेत में नीचे नहीं झूल रही थी जो किसी भी स्थिति में टच नहीं हो सकती थी। मौके पर जाकर निरीक्षण करने तथा आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि रात करीब 03.00 बजे मृतक कालूराम थ्री फेस

ट्रांसफॉर्मर की लाईन से छेड़छाड़ कर रहा था जिसके दौरान करंट की चपेट में आया, जिसकी रिपोर्ट भी थानाधिकारी बसवा को संबंधित कनिष्ठ अभियंता द्वारा दी गई है। मौके की जांच करने पर प्रश्नगत 11000 वोल्ट की विद्युत लाईन विद्युत निगम के नियमों प्रावधानों के अनुसार जमीन से निर्धारित ऊंचाई पर करीब 14—15 फीट (करीब 4.6 मीटर) खींची हुई है तथा सीमेंट के 9 मीटर पोल पर अर्सेदराज से खींची हुई है जो वर्तमान में भी उसी प्रकार मौजूद चली आ रही है। सामान्य परिस्थितियों में कोई व्यक्ति लाठी से आवारा पशु सांड को भगाते हुऐ उक्त विद्युत लाईन के टच में कतई नही आ सकता है। लाठी विद्युत की कुचालक की श्रेणी में आती है। विद्युत लाईनें विद्युत निगम के नियमों प्रावधानों के अनुसार जमीन से 4.6 मीटर उंचाई पर सीमेंट के पोल पर पिन व डिस्क इंसुलेटर इत्यादि के माध्यम से खींची जाती है तथा उक्त विद्युत लाईन सीमेंट के पोल पर ऊपरी सिरे पर होती है जिसे सामान्य परिस्थितियों में किसी भी व्यक्ति द्वारा लाठी या बांस से टच नहीं किया जा सकता है तथा विद्युत निगम ने अपने फीडर स्टेशनों पर रिले, सर्किट ब्रेकर तथा आइसोलेटर इत्यादि का इंतजामात कर रखा है जो विद्युत लाईन के टूटने अथवा इंसुलेटर इत्यादि के खराब होने पर अर्थिंग होते ही लाईन को सैकण्ड के 10वें हिस्से से भी कम अंतराल में विद्युत प्रवाह रोक देता है जिससे करंट आने की संभावना नगण्य के बराबर है। कालूराम द्वारा विद्युत तंत्र से छेडछाड करने पर वह विद्युत की चपेट में आया है तथा अनायास क्षर्तिपूर्ति राशि प्राप्त करने के उद्देश्य से वास्तविक तथ्यों के विपरीत जाकर विद्युत लाईन को नीचा होना बताकर लाईन से टच होकर करंट लगने की घटना का रूप दिये जाने का दूषित प्रयास किया जा रहा है। उक्त परिस्थितियों में अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि के लिए उत्तरदायी व जिम्मेदार नहीं है। अतः वादीगण का वादपत्र मय हर्जा—खर्चा खारिज फरमाया जावे।

7. उभय पक्षकारान के अभिवचनों के आधार पर न्यायालय द्वारा निम्न विवाद्यक विरचित किए गए :—

01– आया प्रतिवादीगण के दोषपूर्ण कार्य, उपेक्षा या व्यतिक्रम के कारण वादपत्र के पैरा 1 में अंकित दुर्घटना दिनांक 06.03.2018 को कारित हुई जिसके फलस्वरूप कालूराम की मृत्यु हुई? –वादीगण

02– आया वादीगण वादपत्र की चरण संख्या–04 में वर्णितानुसार प्रतिवादीगण से 80,90,000/रूपये (अक्षरे अस्सी लाख नब्बे हजार रूपए) या अन्य कोई राशि व ब्याज मुआवजा के रूप में प्राप्त करने के अधिकारी है? –वादीगण

03– आया वादीगण को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है? –प्रतिवादीगण

04– आया मृतक कालूराम ट्रासफार्मर की लाईन से छेड़छाड कर रहा था जिससे वह करंट की चपेट में आया? –प्रतिवादीगण

05– अनुतोष।

8. प्रार्थीगण/वादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में गवाह पी.ड. 1 श्रीमती बीना देवी, पी.ड. 2 मांगीलाल सैनी, पी.ड. 3 कमलेश सैनी को परीक्षित करवाया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श–1 तहरीरी रिपोर्ट, प्रदर्श–2 मर्ग रिपोर्ट संख्या 04/2018 पुलिस थाना बसवा, प्रदर्श–3 घटनास्थल नक्शा मौका, प्रदर्श–4 पोस्टमार्टम रिपोर्ट, प्रदर्श–5 रसीद सुपुर्दगी, प्रदर्श–6 पुलिस बयान गवाह कमलेश, प्रदर्श–7 पुलिस बयान गवाह मांगीलाल, प्रदर्श–8ए मृतक कालूराम का मृत्यु प्रमाण–पत्र, प्रदर्श– 9ए जन आधार कार्ड की प्रति, प्रदर्श–10ए परिवार राशनकार्ड की प्रति, प्रदर्श–11 लीगल नोटिस दिनांकित 27.07.2018, प्रदर्श–12 ए लगायत प्रदर्श–12 सी रजिस्टर्ड डाक रसीद को प्रदर्शित करवाया गया।

9. प्रतिवादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में डी.ड. 1 योगेश कुमार कटारिया, डी.ड. 2 गोपाललाल योगी व डी.ड. 3 ज्ञानसिंह मीणा को

परीक्षित करवाया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श ए–1 क.अभियंता की रिपोर्ट, प्रदर्श ए–2 दुर्घटना बाबत कनिष्ठ अभियंता को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, प्रदर्श ए–3 कार्यालय अधिशाषी अभियंता, जयपुर डिस्काम, दौसा द्वारा प्रेषित जांच रिपोर्ट, प्रदर्श ए–4 मिनिट्स ऑफ मीटिंग की रिपोर्ट, प्रदर्श ए–5 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने बाबत प्रार्थना पत्र, प्रदर्श ए–6 प्रकरण में विद्युत विभाग द्वारा ओ.आई.सी. नियुक्त करने बाबत आदेश क्रमांक 4156 दिनांक 31.12.2018 की सत्यप्रति को प्रदर्शित करवाया गया।

10. बहस अंतिम सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता वादीगण का दौराने बहस तर्क रहा है कि मृतक कालूराम की मृत्यु प्रतिवादीगण की लापरवाही के कारण खेत में बहुत नीचे झूल रही विद्युत लाईनों की देखभाल, सार–संभाल, पर्याप्त सतर्कता नहीं बरतने के कारण हुई है, जिस कारण वादीगण क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी है। अधिवक्ता वादीगण ने अपने तर्को के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किए है :–

1- JVVNL vs Smt. Lada Devi & Ors, S.B.Civil First Appeal No. 270/2003 D/d 27-07-2022
2- M.P Electricity Board vs Shail Kumari & Ors, 1(2002) ACC 526
3- Smt Sarla Verma & Ors vs Delhi Transport Corporation & Ors, Civil Appeal No 3483 of 2008 D/d 15-04-2019
4- National Insurance Co.Ltd vs Pranay Sethi, AIR 2017 SC 5157
5- United India Insurance Co.Ltd vs Satinder Kaur @ Satwinder Kaur & Ors, Civil Appeal No 2705 of 2020 D/d 30-06-2020

11. विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण का दौराने बहस तर्क रहा है कि, अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं बरती गई है अपितु मृतक कालूराम श्री फेस ट्रांसफॉर्मर की लाईन से छेड़छाड़ कर रहा था जिसके कारण वह करंट की चपेट में आ गया।

लाईन धरातल से टच करती हुई हों, ऐसी कोई शिकायत विद्युत निगम में दर्ज नहीं कराई गई है। वादीगण ने उक्त दुर्घटना मृतक कालूराम द्वारा लाठी से पशुओं को भगाने के दौरान ऊपर से गुजर रहे तारों से लाठी के टच होने के कारण कारित होना बताया है जबकि लाठी विद्युत की कुचालक होती है जिससे करंट लगना किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। अतः वाद वादीगण खारिज फरमाया जावे।

12. तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन, अवलोकन किया गया एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया। विवाद्यकवार न्यायालय का विवेचन निम्न प्रकार है :-

<u>**विवाद्यक संख्या-1, 2 व 4 :-**</u>

13. विवाद्यक संख्या 1, 2 व 4 एक-दूसरे से अन्तर्सम्बन्धित होने के कारण एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उक्त विवाद्यकों का विनिश्चय एक साथ किया जा रहा है।

14. विवाद्यक संख्या 1 व 2 को साबित करने का भार वादीगण पर है जबकि विवाद्यक संख्या-4 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है।

15. उक्त विवाद्यकों के संदर्भ में पत्रावली पर उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत की गई साक्ष्य का समग्रता से विवेचन करें तो प्रकट होता है कि वादीगण द्वारा वादपत्र में किये गये अभिवचनानुसार मृतक कालूराम की मृत्यु 11 हजार केवी की विद्युत लाईन से करंट आने के कारण हुई है।

16. पत्रावली पर प्रस्तुत पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श-4 में भी मृतक की मृत्यु का कारण इलेक्ट्रिक शॉक बताया गया है। प्रश्नगत दुर्घटना बाबत दर्ज करवाई गई मर्ग रिपोर्ट संख्या 04/2018 पुलिस थाना बसवा, जिला दौसा के नतीजा बाबत प्रस्तुत रिपोर्ट में भी मृतक की मृत्यु 11 हजार केवी की लाईन से विद्युत करंट प्रवाहित होने के कारण बताया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य में भी गवाहान ने इस तथ्य से इंकार नहीं किया गया है कि मृतक कालूराम की मृत्यु विद्युत करंट से न हुई हो। ऐसी स्थिति में मृतक कालूराम की मृत्यु विद्युत करंट लगने के

परिणामस्वरूप होना एक निर्विवादित तथ्य है।

17. अब न्यायालय को यह देखना है कि क्या उक्त दुर्घटना प्रतिवादीगण द्वारा 11 हजार केवी की विद्युत लाईन के तारों का सही रूप से देखरेख नहीं करने के कारण घटित हुई है अथवा मृतक की स्वयं की लापरवाही से उसकी मृत्यु हुई है, जिस संदर्भ में गवाह पी.ड. 1 श्रीमती बीना देवी अपनी मुख्य परीक्षा के दौरान कथन करती है कि उसका पति कालूराम सैनी दिनांक 06.03.2018 को सुबह करीब 3–4 बजे अपने खेतों में पानी मोड़ने गया हुआ था, तभी खेत में आवारा पशु आ गये जिन्हें भगाने के लिए कालूराम लाठी लेकर गया था। कालूराम की लाठी खेतों से होकर गुजर रही 11 हजार केवी लाईन जो कि खेतों में बहुत नीचे झूल रही थी, से टच हो गई जिससे उसके पति कालूराम के बिजली का करंट लग गया और उसकी मृत्यु हो गई। आगे उक्त साक्षिया ने विद्युत तारों को कसकर बांधने, समय–समय पर उसकी सार–संभाल, देखभाल करते रहने की पूरी जिम्मेदारी प्रतिवादीगण की होना बताते हुए प्रतिवादीगण की लापरवाही से उक्त विद्युत तार नीचे झूलने के कारण मृतक कालूराम के हाथ में मौजूद लाठी उक्त विद्युत लाईन से टच होने से उक्त कालूराम के शरीर में बिजली का करंट लगना बताया है। प्रतिपरीक्षा के दौरान यद्यपि उक्त साक्षिया कथन करती है कि दुर्घटना के समय वह खेत पर थी। वह खेत में पानी दे रही थी परन्तु साथ ही उक्त साक्षिया यह भी कथन करती है कि पुलिस को उसने मौके पर मौजूद होना नहीं बताया था।

18. इसी स्तर पर तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श–1 का अवलोकन करें तो तहरीरी रिपोर्ट में भी ऐसा कोई तथ्य वर्णित नहीं है कि बरवक्त दुर्घटना पी.ड. 1 बीना देवी घटनास्थल पर मौजूद हो। यद्यपि विधिनुसार तहरीरी रिपोर्ट में यह आवश्यक नहीं है कि घटना के संदर्भ में सम्पूर्ण तथ्यों का समावेश किया जाए परन्तु न्यायालय का मत है कि यदि उक्त साक्षिया मौके पर होती तो दौराने पुलिस जांच, पुलिस को उसके द्वारा अवश्य ही यह कथन किया जाता कि बरवक्त दुर्घटना वह मौके पर थी तथा उसके द्वारा सम्पूर्ण घटनाक्रम देखा गया है।

19. वादीगण के अभिवचनानुसार प्रश्नगत दुर्घटना मौके पर 11 हजार केवी की विद्युत लाईन के तार अत्यधिक नीचे होने के कारण घटित हुई है परन्तु सम्पूर्ण वादपत्र में वादीगण द्वारा ऐसा कोई अभिवचन नहीं किया गया है कि उक्त विद्युत लाईन के तार कब से नीचे झूल रहे थे, न ही ऐसा कोई अभिवचन किया गया है कि बरवक्त दुर्घटना उक्त विद्युत तारों की धरातल से क्या ऊंचाई थी। गवाह पी.ड. 1 ने प्रतिपरीक्षा में भी अधिवक्ता प्रतिवादीगण के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसने अपने वादपत्र तथा शपथ पत्र में 11 हजार केवी की लाईन की जमीन से ऊंचाई अंकित नहीं की है। यह सही है कि उसने पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जो मौके पर जमीन से 11 हजार केवी विद्युत लाईन की ऊंचाई दर्शाता हो। उक्त विद्युत तार अपनी निर्धारित ऊंचाई पर न होकर अत्यधिक नीचे होने बाबत किसी प्रकार की कोई शिकायत विद्युत विभाग में की गई हो, ऐसा भी कोई तथ्य वादीगण ने अपने वादपत्र में अभिकथित नहीं किया है। यद्यपि प्रतिपरीक्षा के दौरान गवाह पी.ड. 1 बीना देवी कथन करती है कि 11 हजार केवी की लाईन के सम्बन्ध में उसके ससुर ने शिकायत की थी परन्तु ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली में मौजूद नहीं है। इस प्रकार वादीगण द्वारा मौके पर 11 हजार केवी की विद्युत लाईन के तार अत्यधिक नीचे होने बाबत विद्युत विभाग में किसी प्रकार की कोई शिकायत की गई हो, ऐसा कोई दस्तावेज स्वीकृत रूप से पत्रावली पर नहीं है।

20. इसी स्तर पर प्रश्नगत दुर्घटना के दौरान दर्ज हुई मर्ग रिपोर्ट की जांच के दौरान मूर्तिब नक्शा मौका प्रदर्श–3 का अवलोकन करें तो उक्त नक्शा मौका में भी ऐसा कोई तथ्य अंकित नहीं है कि मौके पर 11 हजार केवी की विद्युत लाईन के तार ढ़ीले होकर झूल रहे हों तथा धरातल से उनकी ऊंचाई अत्यन्त कम हो। यद्यपि उक्त नक्शा मौका प्रदर्श–3 के हालात मौका में यह तथ्य अंकित किया गया है कि एक्स स्थान जहां मृतक की मृत्यु होना बताया गया है, वहां पर 11 हजार केवी की लाईन डोल के नजदीक है परन्तु उक्त नक्शा मौका प्रदर्श–3 में घटनास्थल का

खेत रामकिशन का होना जाहिर किया गया है जबकि वादीगण के कथनानुसार कालूराम बरवक्त दुर्घटना अपने खेत में आवारा पशुओं को भगा रहा था। उक्त नक्शा मौका प्रदर्श–3 में कहीं भी उक्त कालूराम का खेत अंकित नहीं है। आगे उक्त गवाह पी.ड. 1 प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन करती है कि 11 हजार केवी की लाईन जमीन से 6–7 फीट ऊपर थी। बरवक्त दुर्घटना कालूराम के हाथ में जो लाठी थी, उसकी लंबाई उक्त साक्षिया ने ढ़ाई–तीन फीट होना बताया है तथा अपने पति की लंबाई पांच फीट होना बताया है। गवाह पी.ड. 1 द्वारा किये गये उक्त कथनों के संदर्भ में प्रथमतः तो न्यायालय का मत है कि लाठी विद्युत की कुचालक होती है जिससे विद्युत करंट प्रवाहित होना संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त उक्त साक्षिया के कथनानुसार यदि मौके पर 11 हजार केवी की विद्युत लाईन के तार जमीन से मात्र 6–7 फीट की ऊंचाई पर थे तो ऐसी स्थिति में वहां निवास कर रहे व्यक्तियों के सामान्य चलने–फिरने के दौरान ही उक्त विद्युत लाईन के संपर्क में आने की अत्यधिक संभावना होती है परन्तु इसके बावजूद वादीगण द्वारा उक्त विद्युत लाईन के तार धरातल से मात्र 6–7 फीट की ऊंचाई पर झूलने बाबत कोई शिकायत प्रार्थना पत्र पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं होना निश्चित रूप से वादीगण के इस कथन को कमजोर बनाता है कि मौके पर 11 हजार केवी की विद्युत लाईन के तारों की ऊंचाई मात्र 6–7 फीट हो।

21. प्रश्नगत दुर्घटना बाबत वादीगण की ओर से अन्य साक्षीगण के बतौर गवाह पी.ड. 2 मांगीलाल सैनी व पी.ड. 3 कमलेश सैनी परीक्षित हुए हैं। उक्त साक्षीगण अपने मुख्य परीक्षण के दौरान कथन करते हैं कि दिनांक 06.03.2018 को वे अपने खेतों में जमीन की रखवाली कर रहे थे। कालूराम सैनी अपने खेतों में पानी मोड़ने गया हुआ था, **तभी उन्होंने देखा** कि कालूराम के खेतों में अचानक आवारा पशु आ गये, जिन्हें भगाने के लिए कालूराम लाठी लेकर गया तो उक्त लाठी खेतों में झूल रहे 11 हजार केवी की विद्युत लाईनों से जो खेतों में बहुत नीचे झूल रहे थे, से टच हो गई जिससे कालूराम के बिजली के करंट लगा तथा उसकी मृत्यु हो गई।

इस प्रकार मुख्य परीक्षा में किये गये उपरोक्त कथनानुसार गवाहान पी.ड. 2 व पी.ड. 3 ने प्रश्नगत दुर्घटना स्वयं द्वारा देखना बताया है परन्तु उक्त साक्षीगण की प्रतिपरीक्षा पर गौर करें तो पी.ड. 2 व पी.ड. 3 स्पष्ट कथन करते हैं कि दुर्घटना उनकी आंखों के सामने घटित नहीं हुई। गवाह पी.ड. 2 कथन करता है कि उसे दुर्घटना की जानकारी जोर से चिल्लाने पर हुई थी। इसी प्रकार गवाह पी.ड. 3 प्रतिपरीक्षा में कथन करता है कि बीना देवी के चिल्लाने पर उसे दुर्घटना की जानकारी हुई। इस प्रकार गवाहान पी.ड. 2 व पी.ड. 3 भी प्रश्नगत दुर्घटना के चश्मदीद साक्षीगण नहीं है। गवाह पी.ड. 3 अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन करता है कि दुर्घटना की रिपोर्ट उसने दर्ज करवाई थी। यह कहना सही है कि बिजली विभाग को घटना की सूचना नहीं दी। बिजली विभाग को विद्युत लाईन ढीले होने की शिकायत के कोई दस्तावेज पत्रावली में पेश नहीं है। यह कहना सही है कि विद्युत लाईन कितनी नीचे थी, उन्होंने कभी नहीं नापा। लाईन नीचे होने वाली बात वह अंदाजे से कह रहा है। यह कहना सही है कि पुलिस ने दुर्घटना में उल्लेखित लाठी जब्त नहीं की है। इस प्रकार उक्त साक्षी की साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि मौके पर विद्युत लाईन के तार कितने नीचे थे, इस बाबत किसी भी प्रकार की कोई निश्चयात्मक दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है बल्कि उक्त साक्षी पी.ड. 3 अनुमान लगाते हुए उक्त विद्युत लाईन का नीचे झूलना बता रहा है।

22. अन्य गवाह पी.ड. 2 यद्यपि अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन करता है कि 11 हजार केवी की लाईन की ऊंचाई 7–8 फीट थी जो उन्होंने नापी थी परन्तु ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर नहीं है जिससे यह जाहिर होता हो कि प्रश्नगत दुर्घटना के समय मौके पर 11 हजार केवी की लाईन की ऊंचाई मात्र 7–8 फीट हो। यद्यपि उक्त साक्षी कथन करता है कि पुलिस घटनास्थल पर आई थी तथा पुलिस को विद्युत लाईन की ऊंचाई 7–8 फीट होना बताया था परन्तु प्रश्नगत दुर्घटना बाबत दर्ज मर्ग रिपोर्ट प्रदर्श–2 में हुई जांच पश्चात् प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के ए से बी भाग में यह तथ्य अंकित किया गया है कि ''मृतक कालूराम की मृत्यु कृषि कार्य करते

वक्त 11 हजार केवी की विद्युत लाईन से गीली लाठी टच हो जाने के कारण मृत्यु होना पाया जाता है।'' इस प्रकार उक्त जांच रिपोर्ट में मृतक कालूराम के हाथ में जो लाठी मौजूद थी, वह गीली होने का एक नया तथ्य प्रकट हुआ है परन्तु वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के दौरान किसी भी साक्षी ने ऐसा कोई कथन नहीं किया है कि मृतक कालूराम के हाथ में बरवक्त दुर्घटना मौजूद लाठी गीली हो।

23. न्यायालय का यह भी मत है कि यदि मृतक कालूराम के हाथ में मौजूद लाठी का गीला होना मान भी लिया जाए तो भी प्रतिवादीगण के स्तर पर किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही दर्शित नहीं होती है क्योंकि प्रतिवादीगण की लापरवाही के बतौर वादीगण को यह साबित किया जाना आवश्यक है कि बरवक्त दुर्घटना मौके पर 11 हजार केवी की लाईन के तार अत्यधिक नीचे झूलते हुए थे जिस कारण मृतक कालूराम के हाथ में मौजूद लाठी उक्त तारों से छूने के कारण उसके शरीर में करंट प्रवाहित हुआ। उपरोक्त विवेचनानुसार पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है जिससे बरवक्त दुर्घटना मौके पर विद्युत लाईन के तारों की ऊंचाई स्पष्ट होती हो अथवा मौके पर तार अत्यधिक नीचे होकर झूलते हुए दर्शित होत हों। प्रकरण की जांच के दौरान मूर्तिब नक्शा मौका प्रदर्श–3 तथा मर्ग जांच रिपोर्ट में भी ऐसा कोई तथ्य अंकित नहीं है कि मौके पर 11 हजार केवी की लाईन के तार झूल रहे हो अथवा अत्यन्त ढीले हो जबकि खंडन स्वरूप प्रतिवादीगण की ओर से परीक्षित गवाह डी.ड. 1 योगेश कुमार कटारिया ने बतौर कनिष्ठ अभियंता, जेवीवीएनएल अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मौके की जांच करने पर प्रश्नगत 11 हजार वोल्ट की विद्युत लाईन विद्युत निगम के नियमों व प्रावधानों के अनुसार जमीन से निर्धारित ऊंचाई पर करीब 14–15 फीट (करीब 4.6 मीटर) खींची हुई थी और आज भी उसी प्रकार मौजूद चली आ रही है। प्रतिपरीक्षा के दौरान भी उक्त साक्षी ने घटनास्थल का स्वयं द्वारा नक्शा मौका बनाते हुए नक्शा मौका प्रदर्श ए–1 के रूप में प्रदर्शित करवाया है जिसके सी से डी भाग में उक्त साक्षी ने मौका स्थिति की जांच करने पर मृतक कालूराम सैनी द्वारा

दुर्घटना की दिनांक को प्रातः 03.00 बजे थ्री फेस लाईन को एल.टी (लंगड़ी करने) बनाने के प्रयास में विद्युत करंट लगने से कालूराम की मृत्यु होने का तथ्य अंकित किया है। इस संदर्भ में हुई प्रतिपरीक्षा के दौरान उक्त साक्षी ने कथन किया है कि प्रदर्श ए–1 का यह सी से डी भाग आसपास मौजूद लोगों की जानकारी से लिखा है एवं मौके की साईट देखने से यही प्रतीत होता है कि मृतक सिंगल फेस सप्लाई से मोटर चलाने के लिए लंगडी बनाने का प्रयास कर रहा था। उक्त साक्षी से हुई प्रतिपरीक्षा के दौरान अंत में उक्त साक्षी ने अधिवक्ता वादीगण के इस सुझाव से इंकार किया है कि तथाकथित दुर्घटना 11 हजार केवी लाईन नीचे ढीली होने के कारण मृतक द्वारा आवारा पशुओं को गीली लाठी लेकर भगाते समय लाईन के स्पर्श होने के कारण हुई हो। उपरोक्त विवेचनानुसार अधिवक्ता वादीगण द्वारा उक्त साक्षी डी.ड. 1 को बरवक्त दुर्घटना मृतक कालूराम के हाथ में मौजूद लाठी गीली होने का सुझाव दिया गया है परन्तु स्वयं वादीगण द्वारा प्रस्तुत किसी भी गवाह ने ऐसा कथन नहीं किया है कि बरवक्त दुर्घटना मृतक कालूराम के हाथ में मौजूद लाठी गीली रही हो। अतः डी.ड. 1 को उपरोक्तानुसार अधिवक्ता वादीगण द्वारा दिये गये इस सुझावात्मक प्रश्न से भी सहायता नहीं मिली। प्रतिवादीगण की ओर से परीक्षित अन्य गवाहान डी.ड. 2 गोपाललाल योगी, डी.ड. 3 ज्ञान सिंह मीणा भी मौके पर 11 हजार केवी विद्युत लाईन के तार नीचे होने के तथ्य से इंकार करते हुए स्वयं मृतक द्वारा विद्युत लाईन से छेड़छाड़ करने के दौरान उसकी मृत्यु होना बताया है, जिस तथ्य का कोई खंडन प्रतिपरीक्षा के दौरान भी नहीं हुआ है।

24. इस प्रकार वादीगण को यह तथ्य साबित किया जाना था कि मौके पर 11 हजार केवी विद्युत लाईन के तार अत्यधिक नीचे होकर झूलती हुई अवस्था में होने के कारण मृतक कालूराम के हाथ में मौजूद लाठी उक्त तारों से छूने के परिणामस्वरूप मृतक कालूराम के शरीर में करंट लगने से उसकी मृत्यु हुई परन्तु वादीगण इस तथ्य को साबित करने में असफल रहे हैं कि मौके पर 11 हजार केवी विद्युत लाईन के तार नीचे होकर झूलती

हुई अवस्था में हो। इसके अतिरिक्त मृतक कालूराम के हाथ में मौजूद लाठी से किस प्रकार करंट प्रवाहित हो सकता है, यह तथ्य भी वादीगण साबित करने में असफल रहे हैं तथा मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श–4 एवं मर्ग रिपोर्ट प्रदर्श–2 में हुई जांच पश्चात् प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के आधार पर मृतक की मृत्यु विद्युत करंट से होने के आधार पर स्वयं मृतक की लापरवाही से उसकी मृत्यु होना भलीभांति साबित होता है।

अधिवक्ता वादीगण द्वारा अपने वाद के समर्थन में जो न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये हैं, उनमें से न्यायिक दृष्टांत–

1- JVVNL vs Smt. Lada Devi & Ors, S.B.Civil First Appeal No. 270/2003 D/d 27-07-2022,

2- M.P Electricity Board vs Shail Kumari & Ors, 1(2002) ACC 526 कठोर दायित्व के सिद्धांत से सम्बन्धित है, परन्तु हस्तगत प्रकरण में उपरोक्त विवेचनानुसार स्वयं मृतक की उपेक्षा एवं लापरवाहीपूर्ण कृत्य के परिणामस्वरूप दुर्घटना कारित होना प्रमाणित हुआ है जो कठोर दायित्व के सिद्धांत का अपवाद है। अतः उक्त न्यायिक दृष्टांत न्यायालय के मत में हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं। अधिवक्ता वादीगण द्वारा प्रस्तुत शेष न्यायिक दृष्टांत क्षतिपूर्ति राशि से सम्बन्धित है परन्तु हस्तगत प्रकरण में वादीगण अपना वाद साबित करने में असफल रहे है। अतः उक्त न्यायिक दृष्टांतों से वादीगण को कोई मदद नहीं मिलती है।

अतः विवाद्यक संख्या–1 व 2 वादीगण के विरूद्ध तथा विवाद्यक संख्या–4 प्रतिवादीगण के पक्ष में तय किया जाता है।

<u>विवाद्यक संख्या–3</u>

25. उक्त विवाद्यक को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। इस संबंध में वादीगण ने अपने वादपत्र की मद संख्या–7 में स्पष्ट अभिवचन किया है कि दिनांक 06.03.2018 की सुबह करीब 3.00–4.00 बजे अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की घोर लापरवाही के कारण बिजली की लाईन को कसकर नहीं बांधने और खेत में उच्च क्षमता की लाईन अत्यधिक नीचे

तक झूलने के कारण मृतक कालूराम की लाठी 11 हजार केवी की विद्युत लाईन के टच होने से करंट लगने के कारण वाद हेतुक उत्पन्न हुआ है। उक्त अभिवचनों के समर्थन में वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के दौरान भी गवाहान पी.ड.1 लगायत पी.ड. 3 ने प्रश्नगत दुर्घटना दिनांक 06.03.2018 को सुबह 3.00—4.00 बजे घटित होना बताते हुए उक्त दुर्घटना में मृतक कालूराम की मृत्यु होने का कथन किया है जो कथन स्पष्ट रूप से वादीगण के पक्ष में वाद हेतुक उत्पन्न होने के लिए पर्याप्त है परन्तु उक्तानुसार वादीगण को वाद हेतुक उत्पन्न होने के तथ्य का प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य में कोई खंडन नहीं हुआ है। अतः विवाद्यक संख्या 3 प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णीत किया जाता है।

अनुतोष

26. चूंकि विवाद्यक संख्या 1 व 2 वादीगण के विरूद्ध तथा विवाद्यक संख्या—4 प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णीत किया गया है। अतः वादीगण कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

आ दे श

27. अतः वाद वादीगण बाबत क्षतिपूर्ति विरूद्ध प्रतिवादीगण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। तदानुसार पर्चा डिक्री मुर्तिब किया जावे।

(विकास कालेर)
अति. जिला न्यायाधीश क्रम—1,
जयपुर जिला,जयपुर

28. निर्णय आज दिनांक 10 अगस्त 2026 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(विकास कालेर)
अति. जिला न्यायाधीश क्रम—1,
जयपुर जिला,जयपुर